



2026:AHC:22990

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2501, वर्ष 2026

ओम प्रकाश तिवारी

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: महेन्द्र कुमार यादव

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- कुछ तर्कों के पश्चात, याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वर्तमान याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की गई है।
- प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना का कोई विरोध नहीं किया गया है।
- तदनुसार, रिट याचिका 'नॉट प्रेस' के रूप में खारिज की जाती है।
- यह स्पष्ट किया जाता है कि याची को समान वाद कारण के लिए नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई है।

3 फरवरी, 2026

सकलेन

(प्रकाश पांडिया

न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"